capital adequacy norms for Stock Exchanges in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

1494. [*Transferred to 24th December, 1993.*]

## (राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना)

1495. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या वित्त मंत्री 2 मार्च, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 885 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में प्रस्तुत किए गए अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में काफी लम्बे समय से अर्थात् मार्च 1993 से दिसम्बर 1993 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)** : (क) से (घ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर०आर० बी०) के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन आर बी आई) की स्थापना के प्रस्ताव सहित कई वैकल्पिक माडलों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के परामर्श से विचार किया गया है। संसद सदस्यों और आर०आर०बी० कर्मचारियों के संघों इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। वित्त मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों की राय जानने के लिए दिनांक 7-10-93 को उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी। उनके द्वारा दिए गए सुझावों की सरकार सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

## गैर-सरकारी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त

1496. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड गैर सरकारी क्षेत्र में वित्तीय सस्थाओं को भूमिका के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार आचार संहिता और नियम बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद)** : (क) जी, नहीं। निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का संबंध नहीं है। इसके बजाए "सेबी" का संबंध बाजार से पूंजी जुटाने के मामलों में ऐसे संस्थाओं को विनियमित करने तथा निवेशकों की रक्षा करने से है। "विकास वित्तीय संस्थाओं" (निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं सहित) के संबंध में इस प्रयोज-

मार्च "सेबी" द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । सांविधिक रूप से स्थापित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में, इन संस्थाओं का कार्यकरण उनके संबंधित अधिनियमों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जाता है ।

**Preferntial Allotments by Companies**

1497. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that companies are increasingly choosing to make preferential allotment to the Financial Institutions and Foreign Institutional Investors in their Public Issues; and

(b) if so, what are the details in this regard and the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Companies have, for the last several years, been making preferential allotments (in the form of reserved allocations) to Financial institutions (FIs) in their public issues. Securities and Exchange Board of India (SEBI) has also recently permitted companies to make similar reserved allocations to Foreign Institutional Investors (FIIs). Both these categories of reserved allocations are proving popular with companies. During August—November, 1993, 22 companies which made public issues aggregating Rs. 5440.72 crores reserved a total of Rs. 542.86 crores for FIs. In the same period in 21 issues aggregating Rs. 3497.72 crores, reservations for FIIs were made for a total of Rs. 382.70 crores.

**Smuggling of Goods on Ladakh-Tibet Border**

1498. DR. SANJAYA SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the smuggling of goods on the Ladakh-Tibet border;

(b) if so, what are the details of goods confiscated during the last 2 years on that border; and

(c) what preventive action has been taken to stop the activities and with what result?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) There have been a few attempts to smuggle goods on the Ladakh-Tibet border.

(b) The value of goods confiscated during the last 2 years is as under:

| Year | Value (in rupees) |
|---|---|
| 1991-92 . . . . | 20,800 |
| 1992-93 . . . . | 2,43,815 |

(c) The Indo-Tibet Border Police (ITBP) has been conferred with powers under the Customs Act 1962 to deal with the menace of smuggling on Ladakh-Tibet border.

**Idols Seized by The Narcotics and Antiques Branch of CBI**

1499. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that idols worth Rs. 50 crores was seized recently by the Narcotics and antiques Branch of CBI, Delhi from and alleged smuggler near a hotal In Old Delhi areas; and

(b) if so, steps taken by Government to strengthen the staff in the Narcotic Branch of CBI in all metropolitan cities key areas like the airports and ports?